



2026:AHC:173429

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5072 वर्ष 2026

हर्षित तायल @ रिक्त

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : कंचन शर्मा, सतेंद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री कंचन शर्मा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
3. आवेदक- **हर्षित तायल उर्फ रिक्त** को वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2026 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या संख्या 3 वर्ष 2026 में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत, थाना साइबर अपराध पुलिस थाना शामली, जिला शामली में दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा से वंचित अपराधों के आरोप में वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक पुलिस के समक्ष पेश हुआ था और विवेचना में सहयोग कर रहा था। उसका बयान 29.01.2026 को दर्ज किया गया था और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत सूचना तामील कराया गया था। आवेदक ने जारी किए गए सूचना की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया है। इसके बावजूद, पुलिस ने आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने 29.01.2026 के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न सामान्य डायरी प्रविष्टियों पर भरोसा किया है, जिसमें पुलिस ने आवेदक का विस्तृत बयान दर्ज किया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत सूचना की व्यक्तिगत तामील के संबंध में भी टिप्पणी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने और आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के कारणों के बारे में न्यायालय को सूचित करने के लिए दस दिनों का समय मांगा है, जबकि आवेदक का दावा है कि उसने विवेचना में सहयोग किया है।

5. इसे 13.07.2026 को नए सिरे से अपलोड किया गया।

6. इस बीच, उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के आरोपी हर्षित तयाल उर्फ रितक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना/न्यायालय के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत



करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं;

7. किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. आवेदक को इससे पहले दिनांक 1.7.2026 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उक्त आदेश के अनुसरण में, आवेदक ने 6.7.2026 को संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत कर दिए हैं। विवेचना अभी लंबित है और आवेदक इस प्रकरण में सहयोग कर रहा है। वह विवेचना अधिकारी या संबंधित न्यायालय के समक्ष, जैसा भी प्रकरण हो, उपस्थित रहेगा।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक को दिनांक 1.7.2026 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को **स्थायी** घोषित किया जाता है। आवेदक धारा 193(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस सूचना प्रस्तुत होने तक या विवेचना पूरी होने तक, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2026 को पारित आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार अग्रिम जमानत पर रहेगा।

6. अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।



7. दिनांक 1.7.2026 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 अगस्त, 2026

ललित शुक्ल

Translated Version. Not for Legal Use.